विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित डॉ. मान सिंह यादव, मा. सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
6	(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि पिछले पाँच वर्षों में नकली शराब से हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष, 2023-24 में सरकार के पास उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई विशेष कार्ययोजना है?	जी हाँ। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग कटिबद्ध है। प्रदेश में अवैध शराब के सेवन से वर्ष 2022-23 में कोई भी मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
	(ख) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	प्रदेश के सभी जनपदों के अपराध निरोधक क्षेत्रों में तैनात आबकारी स्टाफ द्वारा निरन्तर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभार स्तर पर कार्यरत आबकारी की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के निर्देश पर पृथक-पृथक तथा जनपदों के सहयोगार्थ अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के उन्मूलन के लिए कार्य किया जाता है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है। विशेष प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त आम जनमानस को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जनपदों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पैम्पलेट वितरित कर तथा विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से भी जन-जागरूक किया जाता है। जन-सामान्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु आबकारी मुख्यालय,

प्रयागराज में टोल-फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर-9454466019, 24x7 क्रियाशील है। उक्त टोल-फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त टोल-फ्री नम्बर को मदिरा की दुकानों पर अंकित/चस्पा कराया गया। इन पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर भी कार्यवाही की जाती है।

अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथासंशोधित, 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुए जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा 60(क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड का प्राविधान किया गया। आबकारी विभाग द्वारा ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शराब की बोतलों आदि पर बार कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिए आसान कर दिया गया है, जिससे कि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न हो सके।

इसी क्रम में मिथाइल अल्कोहल के उपभोग से होने वाली दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए प्वायजन्स एक्ट, 1991 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन ऑफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 (यथासंशोधित, 2014) के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

नितिन अग्रवाल
आबकारी मंत्री।